राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(14)गृह–5/2022 जयपुर दिनांकः–20.03.2025

मानक संचालन प्रक्रिया
(Standard Operating Procedure)

यत् यह राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कई बार रोगी के परिचायक/परिजन, रोगी के इलाज के दौरान आधी–अधूरी सूचनाओं के आधार पर चिकित्सक/चिकित्साकर्मियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा देते है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक/चिकित्साकर्मियों को मानसिक रूप से उत्पीड़ित होना पडता है एवं उनके कार्यस्थल पर असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Suo Moto Writ Criminal No. 2/2024 IN RE Alleged Rape and Murder Incident of a Trainee Doctor in R G Kar Medical College and Hospital & Related Issues में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (**N.T.F.**) द्वारा की गई अनुशंषा के मध्यनजर पूर्व में जारी समसंख्यक मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 29.05.2022 को अधिष्ठित करते हुए, निम्न मानक संचालन प्रक्रिया (**S.O.P.**) निर्धारित की जाती हैः–

A. Health Care Establishment की सुरक्षा के सम्बन्ध में :–

1. यह कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे बडे संस्थान एवं विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाऐं संस्थान जिनमें सुरक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है को चिह्नित किया जावेगा तथा उसके उपरांत उक्त संस्थान द्वारा अपने संबंधित पुलिस स्टेशन के साथ समन्वय रखा जावेगा। संबंधित पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे संस्थान में नियमित रूप से पेट्रोलिंग करेंगे एवं उस पर सुरक्षा के संबंध में निगरानी रखेंगे।

2. यह कि संस्थान के नोडल प्राधिकारी द्वारा हिंसा की सूचना प्राप्त होने के 6 घंटों के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी अनिवार्य होगी।

3. यह कि राज्य के किसी पुलिस थाने में उक्त संस्थानों में हिंसा/अपराध के सम्बन्ध में घटित घटना के सन्दर्भ में कोई सूचना प्राप्त होती है तो थानाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह,–

   a. तुरन्त परिवाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो विधि के अनुरूप हो, दर्ज करेगा;
   b. ऐसा संस्थान पुलिस थाने की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित नहीं है, तो ऐसी अवस्था में ज़ीरो एफआईआर दर्ज करेगा एवं उसे सम्बन्धित पुलिस थाने को अग्रेषित करेगा;
   c. ऐसे प्रकरणों में त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए, आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करेगा एवं यथाशीघ्र अनुसंधान किया जाएगा;

4. यह कि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में, ऐसे प्रकरण राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 व अन्य प्रभावी विधि के अन्तर्गत दर्ज किए जाए;

5. यह कि संस्थान द्वारा पेश परिवाद/प्रथम सूचना रिपोर्ट CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम)/ICJS (इंटर–ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) पर दर्ज की जाए;

6. यह कि जिला स्तर पर पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक एवं राज्य स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) द्वारा नामित अधिकारी, ऐसे प्रकरणों का पर्यवेक्षण करेंगे;

7. यह कि चिकित्सक/चिकित्साकर्मी के परिवाद/सूचना पर शीघ्र कार्यवाही की जाए एवं आवश्यकता होने पर उनकी व उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए विधि अनुरूप त्वरित कार्यवाही की जाये।

8. यह कि सम्बन्धित थाना प्रभारी, ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए, दोषियों की पहचान सुनिश्चित कर, नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्यवाही करेंगे।

B. चिकित्सक/चिकित्साकर्मियों के विरूद्ध सूचना/परिवाद के सम्बन्ध में :–

1. यह कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008 मे परिभाषित किसी चिकित्सक/चिकित्साकर्मी द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान की गई चिकित्सकीय उपेक्षा के अभियोग की सूचना/परिवाद पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्राप्त होने पर, वह सूचना/परिवाद को रोजनामचे में अंकित करेगा और यदि सूचना/परिवाद चिकित्सकीय उपेक्षा के कारण मृत्यु से सम्बन्धित है, तो प्रथमतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 194 में कार्यवाही करते हुए, ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करवाई जाए।

2. यह कि अगर ऐसा प्रकरण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की **धारा 106. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना**, की परिभाषा में आता है तो ऐसी अवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत 14 दिवस के भीतर प्रारम्भिक जाँच पूर्ण की जाएगी। प्राथमिक जाँच के दौरान, इस सम्बन्ध में स्वतंत्र व निष्पक्ष राय, यथास्थिति चिकित्सक/चिकित्सक मण्डल से प्राप्त करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान हैं, तो ऐसी अवस्था में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।

3. यह कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह आज्ञापक है कि वह चिकित्सकीय उपेक्षा की शिकायत पर प्राथमिक जाँच करें एवं जाँच के दौरान वह अभियोग के सम्बन्ध में स्वतंत्र व निष्पक्ष राय यथास्थिति चिकित्सक/चिकित्सक मंडल से प्राप्त करेगा।

4. यह कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को राय प्राप्त करने हेतु प्रार्थना किये जाने पर, उनका यह दायित्व होगा कि वह यथाशीघ्र अधिकतम तीन दिवस में राय हेतु यथास्थिति चिकित्सक को नामित/चिकित्सक मण्डल का गठन किया जाएगा। किसी व्यक्ति की चिकित्सकीय उपेक्षा से मृत्यु या घोर उपहति होने की दशा में चिकित्सक मंडल का गठन अनिवार्य होगा। चिकित्सक मण्डल में प्रश्नगत अभियोग से सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ को आवश्यक रूप से सम्मलित किया जाए।

5. यह कि चिकित्सक/चिकित्सक मंडल का यह दायित्व होगा कि यदि प्रकरण चिकित्सकीय उपेक्षा से सम्बन्धित है, तो वह बिना किसी भेदभाव के उपेक्षा साधारण या घोर हो, के सम्बन्ध में स्वतंत्र व निष्पक्ष राय उन्हें नामित किए जाने के पन्द्रह दिवस की अवधि में प्रदान करेंगे।

6. यह कि उक्त समयावधि में पन्द्रह दिवस की अभिवृद्धि प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर कर सकेंगे। समयावधि में अभिवृद्धि की सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करते हुए, यह तथ्य राज्य सरकार के ध्यान में भी लाया जाएगा।

7. यह कि अनुसंधान के उपरान्त न्यायालय में यथास्थिति आरोप–पत्र के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर पेश की जाए।

8. यह कि किसी चिकित्सक/चिकित्साकर्मी को घोर चिकित्सकीय उपेक्षा के प्रकरणों में अगर गिरफ्तार किया जाना आवश्यक हो, तो इस सम्बन्ध में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त से आज्ञा प्राप्त करेगा।

9. यह कि संस्थान/चिकित्सक/चिकित्साकर्मी की सूचना पर, पुलिस तुरन्त Health Care Establishment पर पहुँचकर, उपस्थित भीड़ को मौके से उठायेंगे और मरीज की मृत्यु होने की स्थिति में ऐसे शव के सम्बन्ध में विधि द्वारा निर्धारित कार्यवाही करते हुए, शव को परिजन आदि को सुपुर्द करने की कार्यवाही करेंगे।

10. यह कि थाने का भारसाधक अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/चिकित्सक रोगी के उपचार का व्याख्यात्मक विवरण (explanatory note) तैयार करेंगे एवं दस्तावेज कब्जे में लेंगे।

C. जीवन सुरक्षा एवं संवाद :–

1. Health Care Establishment के चिकित्सक/चिकित्साकर्मी, रोगी एवं उसके परिजन के साथ उचित संवाद स्थापित करे, जिसमें रोगी एवं परिजन को, उसके उपचार के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाए;

2. चिकित्सक/चिकित्साकर्मियों के कार्य की प्रकृति व जनसाधारण के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने पर या अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए अपने कार्य का बहिष्कार नहीं करेगें तथा विधि के अनुरूप अपनी बात/मांग राज्य सरकार के समक्ष रखेगें।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।

(अविचल चतुर्वेदी)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त महानिरीक्षक रेन्ज, राजस्थान।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
8. अधीक्षक/प्रिंसीपल, समस्त मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त एसओपी की प्रति सम्बन्धित को प्रेषित करें।
10. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह